

प्ररूप 2 (नियम 11 (4) देखें)



कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (INDORE), मध्य प्रदेश

पत्रांक:

दिनांक:

ई-मेल:

क्रमांक: 26171549 स्कूल आई.टी. 2745 प्रति,

दिनांक: 03/11/2017

प्रबंधक,

(MATUSHRI ANILADEVI PUBLIC SCHOOL)

व्यय: निष्पत्ति और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 11 के अंतर्गत जो लड़के/लड़कियाँ और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के अधिनियम 20 के अधिनियम (4) के अधीन स्वयं सहायता प्रमाणपत्र।

महोदय महोदय,

आपके आवेदन पर दिनांक 01/01/2017 तथा इस संबंध में स्कूल से प्रशासकीय एवं व्यवहार्य त्रिभुज के तदनुसार मैं आपकी स्कूल MATUSHRI ANILADEVI PUBLIC SCHOOL, Gram, Sulakhedi, Post Kalyan, Buland Indore की कक्षा Nursery से कक्षा 8th तक के लिए दिनांक 01/01/2017 से 31/03/2020 तक कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करता हूँ।

अपने स्वीकृति विम्वन संबंधित शर्तों की पूर्ति के अधीन होगा:-

- मान्यता प्रस्ताविकाधीन शर्तों तथा कक्षा 8 से आगे की मान्यतासहितता की कोई बाधता किसी भी कारण से बत नहीं होगी।
- स्कूल निष्पत्ति और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) तथा निष्पत्ति और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- स्कूल अपने एग्रेस भी सीमा के अंदर समूह तथा कमजोर वर्ग के बालकों की शिक्षा में न्यूनतम 25 प्रतिशत प्रवेश देगा। उस दाय में स्कूल यदि आवश्यकता प्रमाणित है तो इनमें प्रवेश बालकों को अति अनुपात में निष्पत्ति और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देगा जिस रूप में उसको बालकों की आवश्यकता पूर्ण करने हेतु इस प्रकार निर्धारित आवश्यकता अनुदान प्राप्त होता है। फलतः न्यूनतम प्रतीति का अधीन होगा बशर्त कि जहाँ स्कूल पूर्व स्कूल (पे स्कूल) शिकायती जाती है पर अ धिनियम की धारा 12 के उपबंध (1) के अंतर्गत (क) से (ग) के उपबंध पर स्कूल में प्रवेश के लिए लागू होगी।
- पर 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए स्कूल को अधिनियम की धारा 12 (2) के अनुसार व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी तथा ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त होने के लिए स्कूल को प्रथम से बैंक खाता उपलब्ध कराना होगा।
- सोसाइटी स्कूल कोई भी विदेशी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं करेगा तथा बालकों या उनका माता-पिता अ भाग्यक के साथ किसी छानबीन प्रकृति को नहीं करेगा।
- स्कूल कक्षा 8th तक के प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा।
 - (क) अंग्रेजी शिक्षा को प्रमाणित।
 - (ख) यदि प्रवेश के लिए बालकों को कोई प्रस्तावित कालावधि के पश्चात् ऐसा प्रवेश प्राप्त गया है।
 - (ग) धर्म, जाति या सुलभ, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर।
- स्कूल सुनिश्चित करेगा कि-
 - किसी स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक किसी भी बालक को किसी कक्षा में रोक या निष्कासित नहीं किया जाएगा।
 - किसी बालक को वार्षिक या मानक रूप से प्रताडित नहीं किया जाएगा।
 - प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण होने तक बालक को कोई भी परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी।
 - नियम 19 के अधीन प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
 - अ धिनियम के उपबंधों के अनुसार शिक्षा/वर्षा आवश्यकता वाले बालकों को समाहित किया जाएगा।
 - अ धिनियम की धारा 23(1) के अधीन निर्धारित न्यूनतम योग्यता अनुसार शिक्षकों की भर्ती की जाएगी; बशर्त कि वर्तमान में कार्यरत जो शिक्षक इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर न्यूनतम अर्हता नहीं रखते हैं, उन्हें अधिनियम के प्रारंभ होने के दिनांक से 5 वर्ष की अवधि में निर्धारित न्यूनतम अर्हता प्राप्त करनी होगी।
 - शिक्षकों को अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करना होगा।
 - प्राइवेट टी चंग धी मति व धर्मों में शिक्षक स्वयं भाग नहीं लेंगे/लेंगी।
- स्कूल समूह चत प्रशासकीय धारा निर्धारित धार्मिकता का अनुसरण करेगा।
- अ धिनियम की धारा 19 में बतित किए अनुसार स्कूल में उपलब्ध सुविधा के अनुपात में स्कूल में बच्चों का नामांकन किया जाएगा।

Page 1 of 2
Amita Kancham
PRINCIPAL

MATUSHRI ANILADEVI PUBLIC SCHOOL